न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 51/2024 निर्णय दिनांक :– 14/11/25

उनवानी दावा :

1. लाडा देवी पत्नि धन्ना जाति कहार उम्र बालिग निवासी डाबरंकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
2. रामपाली पत्नि हीरा जाति कहार उम्र बालिग निवासी डाबरंकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
3. रामकूंरी पत्नि स्व0 सुगना जाति कहार उम्र बालिग निवासी डाबरंकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
4. सजनी देवी पत्नि छगनलाल जाति कहार उम्र बालिग निवासी डाबरंकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
5. बाबू लाल पुत्र माता मगनी देवी पत्नि नाथूलाल जाति कहार उम्र बालिग निवासी डाबरंकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
6. गणपत पुत्र माता मगनी देवी पत्नि नाथूलाल जाति कहार उम्र बालिग निवासी डाबरंकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
7. नन्दा पुत्र माता मगनी देवी पत्नि नाथूलाल जाति कहार उम्र बालिग निवासी डाबरंकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
8. गोवर्धनी पुत्री माता मगनी देवी पत्नि नाथूलाल जाति कहार उम्र बालिग निवासी डाबरंकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
9. तेजमल पुत्र माता संतोक देवी पत्नि लादू जाति कहार उम्र बालिग निवासी डाबरंकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
10. काली पुत्री माता संतोक देवी पत्नि लादू जाति कहार उम्र बालिग निवासी डाबरंकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
11. निरमा पुत्री माता संतोक देवी पत्नि लादू जाति कहार उम्र बालिग निवासी डाबरंकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

–वादीगण–

बनाम

1. तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
2. प्रताप कंवर पत्नि विक्रमसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी डाबरकलां तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

– प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री अशोक कुमार गुप्ता
वादीगण अधिवक्ता

सरकार पैरोकार
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादी
संख्या 2

Ruby

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी एवं दुरूस्ती इन्द्राज

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण संख्या 1 ता 4, वादीगण संख्या 5 ता 8 की माता मगनी देवी तथा वादीगण संख्या 9 ता 11 की माता संतोक देवी ने संयुक्त रूप से खसरा न0 150 रकबा 1.16 है0, खसरा न0 366 रकबा 0.59 है0, खसरा न0 373 रकबा 0.31 है0 कुल किता— 3 कुल रकबा 2.06 है0 भूमि वाके ग्राम डाबरकंला तहसील देवली जिला टोंक राज0 स्थित को दिनांक 6.10.2005 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र प्रतिवादीया संख्या 2 से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तब से लेकर आज तक वादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। वादीगण 5 ता 8 की माता मगनी देवी तथा वादीगण 9 ता 11 की माता संतोक देवी का देहांत हो गया है। वादीगण संख्या 5 ता 11 मृतक मगनी देवी व संतोक देवी के जायज वारिसान है। प्रतिवादीया संख्या 2 ने उपरोक्त खसरा नम्बरान को जरिये रजि0 विक्रय पत्र पानी पुत्र सालगा जाति कहार निवासी डाबरकंला से दिनांक 28.09.2005 को खरीदी थी तथा मौके पर कब्जा प्राप्त किया था लेकिन प्रतिवादीया संख्या 2 ने उक्त विक्रय पत्र के आधार पर स्वयं के नाम नामांतकरण नही खुलवाया था और विक्रय पत्र पंजीयन होने के बाद उक्त भूमि वादीगण संख्या 1 ता 4, वादीगण संख्या 5 ता 8 की माता मगनी देवी तथा वादीगण संख्या 9 ता 11 की माता संतोक देवी को जरिये रजि0 विक्रय पत्र बेचान कर दी थी तब से ही विवादीत आराजीयात पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है और विवादित भूमि में वादी संख्या 1 व 2 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 3 व 4 का 1/8 हिस्सा तथा वादी संख्या 9 ता 11 का 1/8 हिस्सा है और उक्त हिस्से अनुसार वादीगण ने मौखिक बंटवारा कर रखा है और मौके पर काबिज है। वादीगण के नाम उक्त विक्रय पत्र दिनांक 6.10.2005 को रजिस्ट्रर्ड होने के बाद वादीगण के मध्य अन्य जमीनों को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया जिसके कारण वादीगण ने विक्रय पत्र के आधार पर स्वयं के नाम नामांतकरण नही खुलवाया गया। वादीगण आज से 15 दिन पूर्व उक्त विक्रय पत्र दिनांक 6.10.2025 के आधार पर अपने नाम नामांतकरण खोलने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार जी देवली को दिया गया तो उन्होने नामांतकरण खोलने से मना कर दिया तथा कहा कि उपखण्ड अधिकारी देवली के यहां से आदेश लेकर आओं तब नामांतकरण खोलेंगे। वर्तमान में उक्त भूमि पानी पुत्री सालगा के नाम खातेदारी में है लेकिन उसने मौजूदगी में ही उक्त भूमि का विक्रय पत्र प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम करवा दिया था इसलिये उसकों उक्त वाद में पक्षकार नही बनाया गया है। वादीगण द्वारा उक्त भूमि जरिये रजि0 विक्रय पत्र खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया गया है और आज भी मौके पर काबिज है इसलिये वादीगण को वाद वर्णित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। बिनाय दावा आज से लगभग 15 दिवस पूर्व उत्पन्न हुआ जब विक्रय पत्र दिनांक 06.10.2025 के आधार

पर तहसीलदार जी देवली ने नामांतकरण खोलने से मना कर दिया जो निरंतर रूप से जारी है। तहसीलदार देवली को भूमि का लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। विवादग्रस्त आराजीयात माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से प्रस्तुत वाद श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। दावा अ0 धारा 88, 89 राज0 टीनेन्सी एक्ट के तहत अंदर मियाद पूर्ण कोर्ट फीस पर दो प्रतियों में पेश है।

अतः वादीगण की अभियाचना है कि :—

अ. वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज डिक्री किया जाकर वादीगण को हाल खसरा न0 150 रकबा 1.16 है0, खसरा न0 366 रकबा 0.59 है0, खसरा न0 373 रकबा 0.31 है0 कुल किता—3, कुल रकबा 2.06 है0 भूमि वाके ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती की जावे।

ब. खर्चा मुदमा दिलाया जावे तथा अन्य सहायता जो वादीगण के हित में लाभप्रद हो, प्रदान करायी जावे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से सरकार पैराकार ने राजहित प्रभावित नही होने से न्यायालय निर्णय के संदर्भ में कोई आपत्ति दर्ज नही किया जाना आदेशिका पर लिखने से प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब बंद किया गया।

प्रतिवादीया संख्या 2 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने की इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू—1 वादी बाबू लाल पुत्र माता मगनी देवी पत्नि नाथू लाल जाति कहार निवासी डाबरकंला तहसील देवली जिला टोंक का पेश किया है, जिसमें साक्ष्य पी. डब्ल्यू—1 ने मुख्यतया वाद के तथ्यो को ही पेश किया है। वादी ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार हैः—प्रदर्श—1 जमाबन्दी ग्राम डाबरकलां। प्रदर्श —2 शपथपत्र। प्रदर्श—3 रजिस्ट्री बहक प्रताप कवंर। प्रदर्श— असल रजिस्ट्री पेश किये है। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू—2 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वादीया द्वारा और अधिक साक्ष्य नहीं कराये जाने से साक्ष्यवादी बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने वाद मीमो को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण के नाम उक्त विकय पत्र दिनांक 6.10.2005 को रजिस्ट्रर्ड होने के बाद वादीगण के मध्य अन्य जमीनों को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया जिसके कारण वादीगण ने विकय पत्र के आधार पर स्वयं के नाम नामांतकरण नही खुलवाया गया। वादीगण आज से 15 दिन पूर्व उक्त विकय पत्र दिनांक 6.10.2025 के आधार पर अपने नाम नामांतकरण खोलने हेतु प्रार्थना पत्र

तहसीलदार जी देवली को दिया गया तो उन्होने नामांतकरण खोलने से मना कर दिया तथा कहा कि उपखण्ड अधिकारी देवली के यहां से आदेश लेकर आओं तब नामांतकरण खोलेंगे। अतः वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज डिक्री किया जाकर वादीगण को हाल खसरा न0 150 रकबा 1.16 है0, खसरा न0 366 रकबा 0.59 है0, खसरा न0 373 रकबा 0.31 है0 कुल किता—3, कुल रकबा 2.06 है0 भूमि वाके ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती की जावे। वादीगण का वाद डिक्री किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी वर्ष 2071—74 का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श— 1 जमाबंदी, प्रदर्श —2 शपथ पत्र। प्रदर्श —3 रजिस्ट्री असल बहक प्रतापकंवर। प्रदर्श —4 असल रजिस्ट्री बहक वादीगण अवलोकन किया। उक्त रिकॉर्ड पर अवलोकन व मनन करने पर यह तथ्य सामने आते है कि वर्तमान में उक्त भूमि पानी पुत्री सालगा के नाम खातेदारी में है लेकिन उसने मौजूदगी में ही उक्त भूमि का विक्रय पत्र प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम करवा दिया था इसलिये उसकों उक्त वाद में पक्षकार नही बनाया गया है। वादीगण द्वारा उक्त भूमि जरिये रजि0 विक्रय पत्र प्रतिवादीया संख्या 2 से खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया गया तब से लेकर आज तक मौके पर काबिज काश्त है। अतः वाद वाद उचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है। अतः ग्राम डाबरकला भू0अ0नि0 क्षेत्र मालेड़ा तहसील देवली के खाता संख्या 200 खसरा न0 150 रकबा 1.1600 है0, खसरा न0 366 रकबा 0.5900 है0, खसरा न0 373 रकबा 0.3100 है0 कुल किता— 3 कुल रकबा 2.06 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती की जावे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी..मुकाम देवली व अलजाम रूबी अंसार आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ....

12. लाडा देवी पत्नि धन्ना जाति कहार उम्र बालिग निवासी डाबरंकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
13. रामपाली पत्नि हीरा जाति कहार उम्र बालिग निवासी डाबरंकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
14. रामकूंरी पत्नि स्व0 सुगना जाति कहार उम्र बालिग निवासी डाबरंकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
15. सजनी देवी पत्नि छगनलाल जाति कहार उम्र बालिग निवासी डाबरंकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
16. बाबू लाल पुत्र माता मगनी देवी पत्नि नाथूलाल जाति कहार उम्र बालिग निवासी डाबरंकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
17. गणपत पुत्र माता मगनी देवी पत्नि नाथूलाल जाति कहार उम्र बालिग निवासी डाबरंकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
18. नन्दा पुत्र माता मगनी देवी पत्नि नाथूलाल जाति कहार उम्र बालिग निवासी डाबरंकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
19. गोवर्धनी पुत्री माता मगनी देवी पत्नि नाथूलाल जाति कहार उम्र बालिग निवासी डाबरंकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
20. तेजमल पुत्र माता संतोक देवी पत्नि लादू जाति कहार उम्र बालिग निवासी डाबरंकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
21. काली पुत्री माता संतोक देवी पत्नि लादू जाति कहार उम्र बालिग निवासी डाबरंकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
22. निरमा पुत्री माता संतोक देवी पत्नि लादू जाति कहार उम्र बालिग निवासी डाबरंकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

—वादीगण—

बनाम

1. तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
2. प्रताप कंवर पत्नि विक्रमसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी डाबरकलां तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

— प्रतिवादीगण—

उपस्थिति :—

श्री अशोक कुमार गुप्ता
वादीगण अधिवक्ता

सरकार पैरोकार
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 2

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी एवं दुरूस्ती इन्द्राज

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ रूबी अंसार आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 2 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व एकपक्षीय डिक्री दी जाती है कि

आदेश

वाके ग्राम डाबरकला भू0अ0नि0 क्षेत्र मालेड़ा तहसील देवली जमाबंदी वर्ष 2071–74 के खाता संख्या 200 खसरा न0 150 रकबा 1.1600 है0, खसरा न0 366 रकबा 0.5900 है0, खसरा न0373 रकबा 0.3100 है0 कुल किता– 3 कुल रकबा 2.06 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

निजी...मुवलिक...बाबत् ....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 11 सन् 2025 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

उपखण्ड अधिकारी

ओहदा ....

देवली (टोंक)

मुहर

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए